पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–16] रुड़की, शनिवार, दिनांक 22 अगस्त, 2015 ई0 (श्रावण 31, 1937 शक सम्वत्) [संख्या–34

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	549–558	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	537–563	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज़ आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	229–233	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

वित्त अनुभाग–9

अधिसूचना

23 जुलाई, 2015 ई0

संख्या 40/2015/XXVII(9)/स्टाम्प-42/2008–श्री राज्यपाल महोदय, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1897) की धारा 21 (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) सपठित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) 74 तथा 75 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उ0प्र0 स्टाम्प नियमावली, 1942 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

उत्तराखण्ड स्टाम्प (संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्टाम्प (संशोधन) नियमावली, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 156 का संशोधन

2. उ0प्र0 स्टाम्प नियमावली 1942 (जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
156. गैर सरकारी विक्रेताओं को स्टाम्पों की साप्ताहिक बिक्री, लाईसेन्स प्राप्त स्टाम्प विक्रेता सामान्यतः स्थानीय या शाखा डिपो से सप्ताह में एक बार स्टाम्प खरीदने के अधिकृत होंगे, जो मात्रा उनके साप्ताहिक निकासी की अनुमानित मात्रा के बराबर होगी, जो पिछले कुछ सप्ताहों की बिक्री के औसत पर आधारित होगी। यदि साप्ताहिक खरीद के बाद किसी विक्रेता की बिक्री अधिक हो जाए और उसके पास स्टाम्पों का स्टॉक एक सप्ताह के अन्दर ही समाप्त हो जाय, तो उसको सप्ताह के अन्य किसी दिन, जिस दिन, कोषागार खुला हो, सप्ताह के बाकि दिनों की अनुमानित निकासी के बराबर स्टाम्प खरीदने दिया जाएगा। प्रतिबन्ध यह है कि ₹ 25,000/– से अधिक मूल्य का स्टाम्प पेपर लाईसेन्स प्राप्त स्टाम्प विक्रेता को नहीं दिया जायेगा।	156. गैर सरकारी विक्रेताओं को स्टाम्पों की साप्ताहिक बिक्री, लाईसेन्स प्राप्त स्टाम्प विक्रेता सामान्यतः स्थानीय या शाखा डिपो से सप्ताह में एक बार स्टाम्प खरीदने के अधिकृत होंगे, जो मात्रा उनके साप्ताहिक निकासी की अनुमानित मात्रा के बराबर होगी, जो पिछले कुछ सप्ताहों की बिक्री के औसत पर आधारित होगी। यदि साप्ताहिक खरीद के बाद किसी विक्रेता की बिक्री अधिक हो जाए और उसके पास स्टाम्पों का स्टॉक एक सप्ताह के अन्दर ही समाप्त हो जाय, तो उसको सप्ताह के अन्य किसी दिन, जिस दिन, कोषागार खुला हो, सप्ताह के बाकि दिनों की अनुमानित निकासी के बराबर स्टाम्प खरीद कर सकेंगे; परन्तु यह कि ₹ 25,000/– से अधिक मूल्य का स्टाम्प पेपर लाईसेन्स प्राप्त स्टाम्प विक्रेता को नहीं दिया जायेगा; **परन्तु अग्रतर यह कि स्टाम्प विक्रेता किसी भी मूल्य का ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्र जारी कर सकता है।**

नियम 161 का संशोधन

3. मूल नियमावली के नियम 161 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
वर्तमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
161. प्रत्येक अनुज्ञप्त विक्रेता, जो सरकारी कोषागार से तत्काल धन की अदायगी द्वारा गैर न्यायिक न्यायालय फीस या प्रतिलिपि स्टाम्पों को क्रय करता है, स्टाम्पों के प्रत्यक्ष मूल्य के ₹ 1.00 प्रतिशत की छूट पर उसे प्राप्त करेगा ; प्रतिबन्ध यह है कि गैर न्यायिक स्टाम्पों के ₹ 1000 मूल्य तक के स्टाम्पों के क्रय पर 2 प्रतिशत की छूट अनुज्ञप्त विक्रेता को अनुमन्य होगी। यदि अनुज्ञेय छूट में ₹ का भाग शामिल है, तो ऐसे किसी भाग, जो पॉच पैसे के नजदीकी न्यूनतम गुणक के आधिक्य में हो, की उपेक्षा कर दी जाएगी परन्तु उस पर कोई छूट नहीं दी जायेगी। (क) स्वयं केता द्वारा प्रदान किये गये किसी धन पर आपूर्ति किये गये स्टाम्पों पर, (ख) यदि ₹ 5 से अन्यून कुल मूल्य के स्टाम्प एक बार नहीं क्रय किये जाते हैं, (ग) केवल एक ₹ के भाग पर, तथा (घ) आसंजक राजस्व स्टाम्पों के क्रय के लेखा पर	161. प्रत्येक अनुज्ञप्त विक्रेता, जो सरकारी कोषागार से तत्काल धन की अदायगी द्वारा गैर न्यायिक न्यायालय फीस या प्रतिलिपि स्टाम्पों को क्रय करता है, स्टाम्पों के प्रत्यक्ष मूल्य के ₹ 1.00 प्रतिशत की छूट पर उसे प्राप्त करेगा ; प्रतिबन्ध यह है कि गैर न्यायिक स्टाम्पों के ₹ 1000 मूल्य तक के स्टाम्पों के क्रय पर 2 प्रतिशत की छूट अनुज्ञप्त विक्रेता को अनुमन्य होगी। यदि अनुज्ञेय छूट में ₹ का भाग शामिल है, तो ऐसे किसी भाग, जो पॉच पैसे के नजदीकी न्यूनतम गुणक के आधिक्य में हो, की उपेक्षा कर दी जाएगी परन्तु उस पर कोई छूट नहीं दी जायेगी। (क) स्वयं केता द्वारा प्रदान किये गये किसी धन पर आपूर्ति किये गये स्टाम्पों पर, (ख) यदि ₹ 5 से अन्यून कुल मूल्य के स्टाम्प एक बार नहीं क्रय किये जाते हैं, (ग) केवल एक ₹ के भाग पर, तथा (घ) आसंजक राजस्व स्टाम्पों के क्रय के लेखा पर, **परन्तु, यह कि–** **1. स्टाम्प विक्रेता द्वारा जारी किये गये प्रत्येक ई–स्टाम्प पर 0.85 प्रतिशत की दर से स्टाम्प विक्रेता को कमीशन देय होगा, जो स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड द्वारा अपने अधीन अधिकृत संग्रह केन्द्र (ए0सी0सी0) को दिये जाने वाले कमीशन के अतिरिक्त होगा।** **2. स्टाम्प विक्रेता सृजित प्रत्येक ई–स्टाम्प के लिये ₹ 10 प्रति ई–स्टाम्प स्टेशनरी शुल्क के रूप में क्रेता से प्राप्त करेगा।**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 40/2015/XXVII(9)/ Stamp-42/2008, Dehradun, dated July 23, 2015 for general information.

NOTIFICATION

July 23, 2015

No. 40/2015/XXVII(9)/Stamp-42/2008--In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 10 and section 74 and 75 of the Indian stamp Act. 1899 (Central Act no 2 of 1899) read with section 21 of General clauses Act, 1897 (Central Act. no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the U.P. Stamp Rules, 1942 (as applicable to the State of Uttarakhand) to the context of the State of Uttarakhand--

The Uttarakhand Stamp (Amendment) Rules, 2015

Short title, and commencement 1. (1) These Rules may be called the Uttarakhand Stamp (Amendment) Rules, 2015

(2) It shall come into force at once.

Amendment of Rule 156 2. In the Uttar Pradesh Stamp Rules, 1942 (hereinafter referred to as principal rules), the existing Rule 156 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2, shall be substituted as follows ; namely-

Column-1	Column-2
Existing rule	**Rule as hereby substituted**
156. Licensed vendors shall be allowed to purchase stamps from the local or branch depot ordinarily once a week, equal to their estimated demand for one week, based on the average sales of the last few weeks. If after a weekly purchase, the sales of any vendor have been heaby and his stock have run short within the week, he shall be allowed to purchase on any other day of the week when the treasury is open, equal to the probable consumption for remaining part of the week. Provided that stamp paper of value of more than Rs. Twenty five Thousand shall not be given to licensed stamp vendor.	156. Licensed vendors shall be allowed to purchase stamps from the local or branch depot ordinarily once a week, equal to their estimated demand for one week, based on the average sales of the last few weeks. If after a weekly purchase, the sales of any vendor have been heaby and his stock have run short within the week, he shall be allowed to purchase on any other day of the week when the treasury is open, equal to the probable consumption for remaining part of the week; Provided that stamp paper of value of more than Rs. twenty five thousand shall not be given to licensed stamp vendor; Provided further that stamp vendor can be issue an e-stamp certificates of any value.

Amendment of Rule 161

2. In the principal existing rules set out in column-1 below, the following rule set out in column-2 shall be substituted; namely-

Column-1 Existing rule	Column-2 rules as herby substituted
161. Every licensed vendor who purchases non- Judicial. court fee or copy stamps from the Government treasury by payment of ready money shall eceive the same at a discount of Re.1 percent of the face value of the stamps. Provided that a discount of Rs 2 percent on the purchase of Non- Judicial stamp upto Rs. 1000 shall be admissible to the licensed vendor If the discount permissible contains a fraction of a rupee, any such fraction, in excess of the nearest lower multiple of five paise shall be ignored: Provided that no discount shall be allowed: (a) on any stamps supplied on any material furnished by the purchaser himself, (b) unless stamps of an aggregate value of not less than Rs. 5 are purchased at one time, (c) on the fraction of only one rupee, and (d) on account of purchase of adhesive revenue stamps.	161. Every licensed vendor who purchases non- Judicial. court fee or copy stamps from the Government treasury by payment of ready money shall eceive the same at a discount of Re.1 percent of the face value of the stamps. Provided that a discount of Rs 2 percent on the purchase of Non- Judicial stamp upto Rs. 1000 shall be admissible to the licensed vendor If the discount permissible contains a fraction of a rupee, any such fraction, in excess of the nearest lower multiple of five paise shall be ignored: Provided that no discount shall be allowed: (a) on any stamps supplied on any material furnished by the purchaser himself, (b) unless stamps of an aggregate value of not less than Rs. 5 are purchased at one time, (c) on the fraction of only one rupee, and (d) on account of purchase of adhesive revenue stamps.. provided that- 1. stamp vendor will be paid commission at the rate of 0.85 percent on every e-stamp issued by him, which will be in addition to the commission which Stock holding corporation ltd. gives to his authorised collection centre (A.C.C.) 2. stamp vendor will take ₹ 10 per e-stamp from buyer For every generated e-stamp as a stationery fee.

अधिसूचना

प्रकीर्ण

23 जुलाई, 2015 ई0

संख्या 179/2015/XXVII(9)/स्टाम्प-42/2008—श्री राज्यपाल महोदय, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुच्छेद 74 और 75 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय नियमावली, 2011 में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) (संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) (संशोधन) नियमावली, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 13 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) नियमावली, 2011 (जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है।) में नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये वर्तमान नियम 13 के शीर्षक सहित के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिये गये शीर्षक सहित नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्—

स्तम्भ—1 वर्तमान नियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रस्तावित नियम
13 प्राधिकृत संग्रह केन्द्र की नियुक्ति के लिये पात्रता मानदण्ड— नियम 12 के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन कोई अनुसूचित बैंक, केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा नियन्त्रित कोई वित्तीय संस्था अथवा उपक्रम और डाकघर अथवा केन्द्रीय अभिलेख—अनुरक्षण—अभिकरण द्वारा अधिकृत कोई अभिकरण जो राज्य सरकार की सहमति से नियुक्त हो, प्राधिकृत संग्रह केन्द्र के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र होंगे।	13 प्राधिकृत संग्रह केन्द्र की नियुक्ति के लिये पात्रता मानदण्ड— नियम 12 के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन कोई अनुसूचित बैंक, केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा नियन्त्रित कोई वित्तीय संस्था अथवा उपक्रम, डाकघर, कॉमन सर्विस सेन्टर (राष्ट्रीय ई— गवर्नेन्स योजना (NeGP) के अन्तर्गत संचालित) और कोई व्यक्ति (अकेले व्यक्ति को सम्मिलित करते हुये) अथवा केन्द्रीय अभिलेख —अनुरक्षण—अभिकरण द्वारा अधिकृत कोई अभिकरण जो राज्य सरकार की सहमति से नियुक्त हो, प्राधिकृत संग्रह केन्द्र के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र होंगे।

प्रारूप–1 का संशोधन

3. मूल नियमावली के नियम–6 के उपनियम (1) में प्रकल्पित प्रारूप–1 (अनुबन्ध) के स्थान पर नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान पैरा–3 के शीर्षक सहित उप–पैरा 3.2 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये शीर्षक सहित उप–पैरा रख दिया जायेगा; अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान पैरा	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रस्तावित पैरा
3– अनुमोदित मध्यवर्तियों अर्थात् प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों की नियुक्ति–	3– अनुमोदित मध्यवर्तियों अर्थात् प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों की नियुक्ति–
3.2 अनुमोदित मध्यवर्तियों में से, अनुसूचित बैंक, वित्तीय संस्थान, चाटर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म, व्यावसायिक व्यक्ति, डाकखाना, बीमा–विनियमन विकास प्राधिकरण मान्यता प्राप्त बीमा कम्पनी अथवा कोई अन्य व्यक्ति/संस्था, जैसा कि सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाय, अधिमानतः (वरीयता से) प्राधिकृत संग्रह केन्द्र हो सकते है।	3.2 अनुमोदित मध्यवर्तियों में से अनुसूचित बैंक, वित्तीय संस्थान, चाटर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म, व्यावसायिक व्यक्ति, डाकखाना, कॉमन सर्विस सेन्टर (राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स योजना (NeGP) के अन्तर्गत संचालित) बीमा– विनियमन विकास प्राधिकरण मान्यता प्राप्त बीमा कम्पनी अथवा कोई अन्य व्यक्ति (अकेले व्यक्ति को सम्मिलित करते हुये)/संस्था, जैसा कि सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाय, अधिमानतः (वरीयता से) प्राधिकृत संग्रह केन्द्र हो सकते है।

आज्ञा से,
राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 179/2015/XXVII(9)/ Stamp-42/2008,** Dehradun, dated July 23, 2015 for general information.

NOTIFICATION

Miscellaneous

July 23, 2015

No. 179/2015/XXVII(9)/Stamp-42/2008--In exercise of the powers conferred by Article 74 and 75 of the Indian Stamp Act, 1899, the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttarakhand Stamp (Payment of Duty by Means of E-stamp Certificates) Rules, 2011.

THE UTTARAKHAND STAMP (PAYMENT OF DUTY BY MEANS OF E-STAMP CERTIFICATES) (AMENDMENT) RULES, 2015

Short title and commencement- 1. (1) The Uttarakhand Stamp (Payment of Duty by Means of E-stamp Certificates) (Amendment) Rules, 2015 .

(2) They shall come into force at once.

Amendment of Rule 13

2. In the Uttarakhand Stamp (Payment of Duty by Means of E-Stamp Certificates) Rules, 2011 (hereinafter referred to as principal rules), the existing rule 13 with title as set out in column 1 below, the rule with title as set out in column 2, shall be substituted as follows; namely :-

Column-1 Existing rule	Column-2 rule as hereby substituted
13 Eligibility criteria for appointment of Authorised Collection Centre- Any scheduled bank any financial institution or undertaking controlled by the Central Government or the the Government, or the Post Office or any agency will be eligible for appointment as Authorised Collection Centre or any agency authorised by CRA in consultant with the State Govt. subject to prior apporoval of the Appointing Authority under Rule 12.	13 Eligibility criteria for appointment of Authorised Collection Centre- Any Scheduled Bank, any financial institution or undertaking controlled by the Central Government or the State Government, the Post Office, Common service centre {Operating under e-governance plan (NeGP)} any person (including individual) or any agency will be eligible for appointment as Authorised Collection Centre or any agency authorised by CRA in consultant with the State Government. subject to prior apporoval of the Appointing Authority under Rule 12.

Amendment of From-1(Amended)

3. In the principal rule the from-1 (Agreement) envisaged in sub rule (1) of rule (6) substituted by in the existing From-1(Amended), the sub- para 3.2 of para 3 as set out in column 1 blow, the as set out in column 2, shall be substituted as follows; namely :-

Column-1 Existing para	Column-2 para as hereby substituted
3- Appointment of approved intermediaries /Authorised collection centers (ACCs)- 3.2 Amongst the approved intermediaries, the Authorised collection centers could preferably by a Sheduled Bank, Financial Institution, Chartered Accountant firm, Recognized Institution of professionals, Post Office; Insurance Regulatory Development Authority Recognized insurance company or any other person (other than individual)/ institution as approved by the Governement.	3- Appointment of approved intermediaries /Authorised collection centers (ACCs)- 3.2 Amongst the approved intermediaries, the Authorised collection centers could preferably by a Sheduled Bank, Financial Institution, Chartered Accountant firm, Recognized Institution of professionals, Post Office; Common service centre {Operating under e-governance plan (NeGP)}Insurance Regulatory Development Authority Recognized insurance company or any other person (including individual)/ institution as approved by the Governement.

By Order,

RAKESH SHARMA,
Add. Chief Secretary.

चिकित्सा अनुभाग–3

कार्यालय ज्ञाप

24 जुलाई, 2015 ई0

संख्या 1117/XXVIII-3-2015-18/2005–श्री एस0एस0 चौहान, प्रभारी अधिकारी (फार्मेसी), वेतनमान ₹ 15600–39100 ग्रेड पे ₹ 6600 को नियमित चयनोपरान्त विशेष कार्याधिकारी (फार्मेसी), वेतनमान ₹ 15600–39100 ग्रेड पे ₹ 6600 पर पदोन्नति प्रदान करते हुए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में पद स्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. विशेष कार्याधिकारी उक्त पद पर 01 वर्ष परिवीक्षा अवधि विहित होने के दृष्टिगत् श्री चौहान को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने की तिथि दिनांक 31–08–2015 तक परिवीक्षा की अवधि में रखा जायेगा।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

कृषि एवं विपणन अनुभाग–1

अधिसूचना

प्रोन्नति

30 जुलाई, 2015 ई0

संख्या 1002/XIII-1/2015-03(01)2001–एतद्द्वारा उत्तराखण्ड कृषि सेवा समूह 'क' के अन्तर्गत उप कृषि निदेशक के पद पर तैनात अधिकारी श्री के0सी0 पाठक को नियमित चयनोपरान्त इनसे आसन्न कनिष्ठ श्री परमाराम की संयुक्त कृषि निदेशक के पद पर प्रोन्नति की तिथि 18–08–2009 से वेतनमान ₹ 15600–39100 ग्रेड वेतन ₹ 7600 के पद पर प्राकल्पिक प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्तानुसार प्राकल्पिक रूप से पदोन्नति श्री के0सी0 पाठक, संयुक्त कृषि निदेशक को वेतन सम्बन्धी लाभ उनकी वास्तविक पदोन्नति की तिथि/उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होंगे, परन्तु अन्य सेवा सम्बन्धी लाभ हेतु समयावधि की गणना दिनांक 18–08–2009 से की जाएगी।

3. श्री के0सी0 पाठक की तैनाती संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन), कृषि निदेशालय के पद पर की जाती है।

आज्ञा से,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

02 जुलाई, 2015 ई0

संख्या 1675/पदो0–05/XXXI(1)/2012–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री दिनेश यादव को नियमित चयनोपरान्त अनुसचिव, वेतनमान ₹ 15600–39100 ग्रेड वेतन ₹ 6600 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री दिनेश यादव को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री दिनेश यादव को मुख्यमंत्री कार्यालय में अनुसचिव के पद पर तैनात किया जाता है।

4. उक्त पदोन्नति मा0 लोक सेवा अधिकरण देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 92/2011 अहमद अली व अन्य बनाम राज्य एवं इस सम्बन्ध योजित अन्य याचिकाओं में मा0 न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

5. उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

6. श्री दिनेश यादव, अनुसचिव को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन तैनाती के विभाग में तत्काल कार्यभार ग्रहण करते हुये सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

पी0एस0 जंगपांगी,
सचिव।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1

विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति

08 जुलाई, 2015 ई0

संख्या 2257/X-1-2015-14(09)/2014–श्री अनिल कुमार दत्त, भा0व0से0, प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तराखण्ड, जिनकी जन्मतिथि 01–09–1955 (एक सितम्बर सन् उन्नीस सौ पचपन) है, 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31–08–2015 के अपराह्न को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति

23 जुलाई, 2015 ई0

संख्या 2464/X-1-2015-14(09)/2014–श्री सोबरन लाल, भा0व0से0, वन संरक्षक, वन पंचायत, कुमाऊँ क्षेत्र, हल्द्वानी, जिनकी जन्मतिथि 15–10–1955 (पन्द्रह अक्टूबर सन् उन्नीस सौ पचपन) है, 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31–10–2015 के अपराह्न को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

रमेश चन्द्र लोहनी,
अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 34 हिन्दी गजट/424–भाग 1–2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

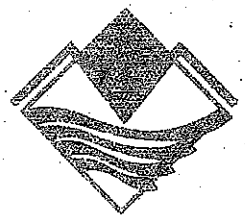

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 22 अगस्त, 2015 ई0 (श्रावण 31, 1937 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
HIGH COURT CAMPUS, NAINITAL

NOTIFICATION

July 13, 2015

No. 432/III-A-02/2015/SLSA--Smt. Jyotsna, Civil Judge (Sr. Div.)/Secretary, District Legal Services Authority, Bageshwar is hereby sanctioned Child Care Leave for 15 days *w.e.f.* 23-06-2015 to 07-07-2015.

NOTIFICATION

July 25, 2015

No. 477/III-A-07/2015/SLSA--Smt. Jyoti Bala, Civil Judge (Sr. Div.)/Secretary, District Legal Services Authority, Nainital is hereby sanctioned earned leave for 12 days *w.e.f.* 06-07-2015 to 17-07-2015 with permission to prefix 05-07-2015 as Sunday holiday and suffix 18-07-2015 and 19-07-2015 as Govt. holiday and Sunday holiday respectively.

By Order of Hon'ble the Executive Chairman,

Sd/-

PRASHANT JOSHI,

Member Secretary.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

July 27, 2015

No. 214/UHC/XIV/47/Admin.A--Sri Ashish Naithani, District & Sessions Judge, Rudraprayag is hereby sanctioned medical leave for 07 days *w.e.f.* 06-07-2015 to 12-07-2015.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

पंचायती राज अनुभाग

अधिसूचना

प्रकीर्ण

16 जुलाई, 2015 ई0

संख्या 608/XII/15-84(03)/2012–श्री राज्यपाल महोदय, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके उत्तराखण्ड, राज्य निर्वाचन आयोग (मुख्यालय) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन आयोग (मुख्यालय) समूह 'क' एवं समूह 'ख' सेवा नियमावली, 2015

भाग – एक – सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
   (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन आयोग (मुख्यालय) समूह 'क' एवं समूह 'ख' सेवा नियमावली, 2015 है।
   (2) यह तत्काल प्रवृत्त होगी।

2. सेवा की प्रास्थिति
   उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन आयोग (मुख्यालय) एक ऐसी राज्य सेवा है, जिसमें समूह 'क' और समूह 'ख' (राजपत्रित/अराजपत्रित) के पद सम्मिलित हैं।

   परिभाषाएं
   जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में :–
   (क) **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;
   (ख) **"भारत का नागरिक"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो "भारत का संविधान" के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है;
   (ग) **"आयोग"** से लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;
   (घ) **"संविधान"** से **"भारत का संविधान"** अभिप्रेत है;
   (ङ) **"सरकार"** से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;
   (च) **"राज्यपाल"** से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;
   (छ) **"आयुक्त"** से राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(ज) "सचिव" से सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(झ) "निर्वाचन आयोग" से राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(ञ) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारंभ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ट) "सेवा" से उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन आयोग (मुख्यालय) सेवा अभिप्रेत है;

(ठ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो; तथा

(ड) "भर्ती का वर्ष" से कलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग – दो – संवर्ग

4. सेवा का संवर्ग

(1) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।

(2) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपनियम (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी, जो **परिशिष्ट 'क'** में दी गयी है :

परन्तु यह कि –

(क) नियुक्ति प्राधिकारी, किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेगें कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा;

(ख) राज्यपाल, ऐसे अतिरिक्त स्थाई अथवा अस्थाई पद सृजित कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें।

भाग – तीन – भर्ती

5. भर्ती का स्रोत

(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

पद का नाम	भर्ती का स्रोत
(क) समीक्षा अधिकारी	(एक) पचास प्रतिशत लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

(दो) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त सहायक समीक्षा अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(ख) अनुभाग अधिकारी — स्थायी समीक्षा अधिकारियों में से जिन्होंने समीक्षा अधिकारी के रूप में कम से कम पांच वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत अस्थायी सेवा भी है) की हो,, शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा।

(ग) सहायक आयुक्त — (1) एक पद प्रतिनियुक्ति द्वारा;
(2) एक पद ऐसे स्थायी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(घ) अनु सचिव — ऐसे स्थायी अनुभाग अधिकारियों में से जिन्होंने अनुभाग अधिकारी के रूप में या/ और किसी समकक्ष पद पर कम से कम पांच वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत अस्थायी सेवा भी है) की हो; शतप्रतिशत पदोन्नति द्वारा।

(2) यदि किसी कनिष्ठ व्यक्ति को पात्रता के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है तो उससे ज्येष्ठ व्यक्ति को भी, इस तथ्य के होते हुए भी कि उसने अपेक्षित सेवा अवधि पूरी नहीं की है, पात्रता के क्षेत्र में सम्मिलित किया जा सकेगा।

6. आरक्षण — उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग – चार – अर्हताएं

7. राष्ट्रीयता — सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए; या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा केनिया, युगांडा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रवर्जन किया हो :

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) और (ग) से संबंधित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से संबंधित अभ्यर्थी पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा :

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से संबंधित है प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी– जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है, किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8. **शैक्षिक अर्हताएं**

सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए :–

पद	अर्हता
समीक्षा अधिकारी	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता।

9. **अधिमानी अर्हताएं**

अभ्यर्थी, जिसने–

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो; या

(2) नेशनल कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो;

(3) राष्ट्रीय सेवा योजना का "सी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो; को अन्य बातें समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

10. **आयु**

सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु यदि वह 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 01 जनवरी को 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो उस वर्ष की 01 जुलाई को 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए।

परन्तु यह और कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर सामान्य आदेशों से विनिर्दिष्ट की जायें।

11. चरित्र — सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी–संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

12. वैवाहिक प्रास्थिति — पुरूष, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे :

परन्तु यह कि यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

13. शारीरिक स्वस्थता — किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उससे–

(क) राजपत्रित पद या सेवा के मामले में, आयुर्विज्ञान परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी;

(ख) सेवा में अन्य पदों के मामले में वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड–दो, भाग–तीन के अध्याय–तीन में दिये गये मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है :

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

भाग – पाँच – भर्ती प्रक्रिया

14. रिक्तियों की अवधारणा — नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या की सूचना आयोग को दी जायेगी।

15. सीधी भर्ती की प्रक्रिया

समीक्षा अधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया—

(1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन—पत्र आयोग द्वारा जारी किये गये विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आयोग द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश—पत्र न हो।

(3) लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् आयोग नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की उनकी योग्यता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को जितनी—जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझे, संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर—बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जायेगा। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

16. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

(1) **समीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया**— समीक्षा अधिकारी के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर समय—समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड, लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 के अनुसार की जायेगी।

(2) **अनुभाग अधिकारी, सहायक आयुक्त एवं अनुसचिव के पद पर भर्ती प्रक्रिया—**

(क) अनुभाग अधिकारी, सहायक आयुक्त एवं अनु सचिव के पदों पर भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर, एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसका गठन निम्नवत् किया जायेगा :—

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी — अध्यक्ष;

(दो) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग— सदस्य ;

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम—निर्दिष्ट अधिकारी — सदस्य;

(ख) नियुक्ति प्राधिकारी, उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 2003 के अनुसार पात्रता सूची तैयार करेगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की पात्रता सूची की, उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेख के साथ, जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा और उसे रिक्तियों की संख्या भी सूचित करेगा।

(4) चयन समिति उपनियम (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकेगी।

(5) चयन समिति भर्ती के समय प्रवृत्त शासकीय आदेशों में दी गई प्रक्रिया के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी, और नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

(6) नियुक्ति प्राधिकारी, सहायक आयुक्त के एक पद पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ऐसे नियुक्त कर सकेगा, जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा अवधारित करे।

17. संयुक्त चयन सूची — यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो संगत सूचियों से नाम लेकर एक संयुक्त चयन सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी जिससे विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग –छः – नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

18. नियुक्ति.

(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर जिसमें यथास्थिति नियम 15, 16 एवं 17 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में आये हों, नियुक्तियॉ करेगा।

(2) यदि किसी वर्ष भर्ती नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हैं तो नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न की गयी हों।

(3) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति का आदेश जारी किया जाता है तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार या उस क्रम में, यथास्थिति, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती हैं तो नाम नियम 17 में निर्दिष्ट क्रम में क्रमांकित किये जायेंगे।

19. परिवीक्षा

(1) सेवा में किसी स्थायी पद पर या उसके विरूद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा में रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक मामले में, परिवीक्षा का दिनाँक विनिर्दिष्ट करते हुए, जब तक अवधि बढ़ाई गई है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे :

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवायें समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में प्रदान की गयी हो।

20. स्थायीकरण

(1) परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा यदि उसने—

(क) विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो;

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो;

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित है; तथा

(घ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा योग्य है।

(2) जहाँ समय–समय पर यथा संशोधित, उत्तराखण्ड के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहाँ इस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

21. ज्येष्ठता

किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के प्राविधानानुसार निर्धारित की जायेगी।

भाग – सात – वेतन आदि

22. वेतनमान

(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुज्ञेय वेतनमान वह होगा, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय लागू वेतनमान परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित किये गये हैं।

23. परिवीक्षा अवधि में वेतन

(1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, जहां विहित हो, समयमान में प्रथम वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी :

परन्तु यह कि समीक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति को प्रथम वेतन वृद्धि तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में 4000 की–डिप्रेशन प्रति घन्टा की न्यूनतम गति प्राप्त न कर ली हो।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग – आठ – अन्य उपबन्ध

24. पक्ष समर्थन

किसी पद या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास या प्रयास का प्रमाण उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

25 अन्य विषयों का विनियमन

ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप में इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों से संबंधित सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

26. सेवा की शर्तों में शिथिलता

जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह, उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकता है या उसे शिथिल कर सकता है :

परन्तु यह कि जहां कोई नियम लोक सेवा आयोग के परामर्श से बनाया गया है, वहां नियमं की अपेक्षाओं से अभिमुक्त करने या शिथिल करने से पूर्व लोक सेवा आयोग से परामर्श करना होगा।

27. व्यावृत्ति

इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिसका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट 'क'

[कृपया नियम 4 का उपनियम (2) तथा नियम 22 का उपनियम (2) देखें]

क्र0 सं0	पदनाम	स्थायी	अस्थायी	वेतनमान (रूपये में)
1	2	3	4	5
1.	समीक्षा अधिकारी	06	—	9300–34800+4600
2.	अनुभाग अधिकारी	03	—	9300–34800+4800
3.	सहायक आयुक्त	02	—	15600–39100+5400
4.	अनु सचिव	01	—	15600–39100+6600

आज्ञा से,

विनोद फोनिया,

सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of 'the Constitution of India', the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 608/XII/15-84(03)/2012**, Dehradun, dated July 16, 2015 for general information.

NOTIFICATION

Miscellaneous

July 16, 2015

No. 608/XII/15-84(03)/2012--In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of "the Constitution of India", and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of person's appointed to the Uttarakhand State Election Commission (Headquarter) Service--

The Uttarakhand State Election Commission (Headquarter) Group 'A' and Group 'B' Service Rules, 2015

PART - I-GENERAL

1. **Short title and Commencement**
   (1) These rules may be called the Uttarakhand State Election Commission (Headquarter) Group 'A' and Group 'B' Service Rules, 2014.
   (2) It shall come into force at once.

2. **Status of the Service**
   The Uttarakhand State Election Commission (Headquarter) service is a State Service, Comprising Group 'A' and 'B' (Gazetted and Non-gazetted) posts.

3. **Definitions**
   In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :-
   (a) 'Appointing Authority' means State Election Commissioner, Uttarakhand;
   (b) 'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under part II of the Constitution of India;
   (c) 'Commission' means the Uttarakhand Public Service Commission;
   (d) 'Constitution' means the Constitution of India;
   (e) 'Government' means the State Government of Uttarakhand;
   (f) 'Governor' means the Governor of Uttarakhand;
   (g) 'Commissioner' means the State Election Commissioner, Uttarakhand;
   (h) 'Secretary' means Secretary, State Election Commission, Uttarakhand;
   (i) 'Election Commission' means State Election Commission, Uttarakhand;
   (j) 'Member of the Service' means a person substantively appointed under these rules of or orders enforce prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service;
   (k) 'Service' means the State Election Commission, Uttarakhand Headquarter service;
   (l) 'Substantive appointment' means an appointment, not being an *adhoc* appointment, on a post in the cadre of the service and made after selection in accordance with the rule and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instruction issued by the Government; and
   (m) 'Year of recruitment' means a period of twelve months commencing from the first day of July of the calendar year.

PART II-CADRE

4. **Cadre of Service**
   (1) The strength of the Service and each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.
   (2) The strength of the Service and each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1) as given in Appendix 'A' :
   Provided that-

(a) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to the compensation;

(b) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART III-RECRUITMENT

5. Source of Recruitment

(1) Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources:-

Name of posts	Source of recruitment
(a) Reviewing Officer	(i) Fifty percent by direct recruitment through Public Service Commission. (ii) Fifty percent by promotion through the Public Service Commission from amongst substantively appointed Assistant Reviewing Officer, who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.
(b) Section Officer	Cent percent by promotion amongst permanent Reviewing Officer's, who have completed at least Five years service, as the Reviewing Officer (which includes temporary services also)
(c) Assistant Commissioner	(i) One post on deputation. (ii) One post by promotion amongst such permanent Assistant District Election Officer's who have completed ten years service as such on the first day of the year of recruitment.
(d) Under Secretary	Cent percent by promotion amongst such permanent Section Officer's, who have completed at least Five years service as Section Officer's or/and any equivalent post (which includes temporary services also).

(2) If any junior person include in the field of eligibility the senior person to him shall be included in the field of eligibility also notwithstanding the fact that he has not completed required service.

6. **Reservation** — Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other category of the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART IV-QUALIFICATIONS

7. **Nationality** — A candidate for direct recruitment to a post in service must be-

(a) A citizen of India; or

(b) A Tibetan refugee who come over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently setting in India; or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Srilanka or any of the east African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyila and Zanzibar) with the intention of permanently setling in India :

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by the State Government :

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain certificate of eligibility granted by the Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand :

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

Note:- A candidate in whose case is certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour subsequently.

8. **Academic Qualification** — A candidate for recruitment to the various posts in the service must possess the following qualifications:-

Post	Qualification
Reviewing Officer	A Bachelor's Degree from University Established by law in India or any qualification recognized by the Government equivalent thereto.

9. **Preferential Qualification** — A candidate who has:-

(1) Served in the Territorial Army for a minimum period of two years; or

(2) Obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps,

(3) Obtained a 'C' certificate of National Social Service,

shall other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

10. Age

A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 year and must not have attained the age of more than 42 years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised by the Commission :

Provided that the maximum age limit for the permanent resident of State of Uttarakhand shall be 42 years:

Provided further that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other Backward classes and such other categories of the State of Uttarakhand as may be notified by the State Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

11. Character

The character of a candidate to a post in service must be such as render him suitable in all respects for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy it self on this point.

Note- Person dismissed by the Union Government or a State Government or by a local authority or a corporation or body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Person's convicted of any offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

12. Marital Status

A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man, already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service :

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special ground for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

13. Physical Fitness

No candidate shall be appointed to a post in the service unless he is in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of official duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required:-

(a) in the case of Gazetted post or service, to pass an examination by a Medical Board;

(b) In the case of other posts in the service to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under fundamental rule 10, contained in Chapter III of the financial handbook Volume II, Part III :

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART-V-PROCEDURE FOR RECRUITMENT

14. **Determination of vacancies**

The Appointment Authority shall determine number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Other Categories belonging to State of Uttarakhand under rule 6. The vacancies to be filled through the Commission shall be intimated to them.

15. **Procedure for direct recruitment**

Procedure of direct recruitment through Public Service Commission, on the post of Reviewing Officer :-

(1) Application for permission to appear in the competitive examination shall be invited by the Commission in the form prescribed in the advertisement issued by the Commission.

(2) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission, issued by the Commission.

(3) After the results of the written examination have been received and tabulated, the Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other Backward classes and others categories under rule 6 to the State of Uttarakhand, prepare a list of candidates in order of merit as disclosed by the marks obtained by each candidate at the written examination and recommend such number of candidates as it consider fit for appointment. If two or more candidates obtain equal marks, the candidate senior in age shall be placed higher in the list. The number of the names in the list shall not be larger than the number of the vacancies. The Commission shall forward the list to the appointing authority.

16. **Procedure for recruitment by promotion**

(1) **Procedure for recruitment by promotion for the post of Reviewing Officer:-**

Recruitment by promotion to the post of Reviewing Officer shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit in accordance with the Uttarakhand Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 2003 as amended from time to time.

(2) **Procedure for recruitment by promotion for the post of Section Officer, Assistant Commissioner and Under Secretary :-**

(a) Recruitment by promotion to the post of Section Officer, Assistant Commissioner and Under Secretary shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit, through a selection committee will be formed as follows --

(i) Appointing authority - Chairman;
(ii) Secretary State Election Commission - Member;
(iii) An officer nominated by the Appointing authority-Member.

(b) Appointing authority, shall prepare an eligibility list for the post of out of the purview of the Public Service

Commission in accordance with the Uttarakhand Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 2003.

(3) The Appointing Authority shall place before the selection committee, the eligibility list of the candidates along with their character rolls and such other records pertaining to them, as may be consider proper and also intimate to it the number of vacancies.

(4) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of the records, referred to in sub-rule 3, and, if it considers necessary, it may interview the candidates also.

(5) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates according the procedure given in the Government orders at the time of the recruitment and forward the same to the Appointing Authority.

(6) The Appointing Authority may appoint on deputation on the one post of the Assistant Commissioner, as determined through order by the State Government.

17. **Combined Select List** — If in any year of recruitment appointments are made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared by taking the names of candidates from the relevant lists, in such manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion.

PART-VI-APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

18. **Appointment**

(1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the appointing authority shall make appointments by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules 15, 16 and 17, as the case may be.

(2) Where, in any year of recruitment appointments are made both by direct recruitment and by promotion, regular appointment shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with rule 17.

(3) If more than one order of appointment is issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the name of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the order, referred to in rule 17.

19. **Probation**

(1) A person on substantive appointment to a post in the Service shall be placed on probation for a period of one year.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted :

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two year.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

20. Confirmation

(1) A Probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation, if-

(a) prescribed training, if any, to be completed successfully;

(b) his work and conduct is reported to be satisfactory;

(c) his integrity is certified;

(d) the Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

(2) Where, in accordance with the provisions of the Uttarakhand State Government Servants Confirmation Rules, 2002, as amended from time to time, confirmation is not necessary the order under sub-rule (3) of rule 5 of those rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation shall be deemed to be the order of confirmation.

21. Seniority

The seniority of persons substantively appointed in any category of posts shall be determined in accordance with the Uttarakhand Government Servants Seniority Rules, 2002, as amended from time to time.

PART-VII-PAY ETC.

22. Pay Scales

(1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service, shall be such as may be determined by the Government from time to time

(2) The Scales of pay at the time of the Commencement of these rules are given in Appendix 'A'

23. Pay during probation

(1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules, to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of service satisfactory has passed departmental examination and undergone training, where prescribed, had completed the probationary period and is also confirmed :

Provided that no person appointed to the post of Reviewing Officer shall be allowed his first increment unless he possesses a minimum speed of 4000 KDPH in Hindi typewriting in computer.

(2) The pay during probation of a person, who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government Service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

PART-VIII-OTHER PROVISIONS

24. Canvassing

No recommendation, either written or oral, other than thoes required under the rules applicable to the Post or Service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

25. Regulation of other matters

In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

26. Relaxation from the conditions of service

Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service caused undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax than requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner :

Provided that where a rule has been framed in consultation with the Public Service Commission, that body shall be consulted before the requirements of the rule are dispensed with or relaxed.

27. Saving

Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required for the candidates belong to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons to the State of Uttarakhand in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

Appendix 'A'

[Please see sub-rule (2) of rule 4 and sub-rule (2) of rule 22]

S. No.	Name Of Post	Permanent	Temporary	Pay Scale
1	2	3	4	5
1.	Reviewing Officer/	06	---	9300-34800+4600
2.	Section Officer	03	--	9300-34800+4800
3.	Assistant Commissioner	02	--	15600-39100+5400
4.	Under Secretary	01	--	15600-39100+6600

By Order,

VINOD FONIA,
Secretary.

कार्यालय निदेशक पंचायतीराज

अधिसूचना

27 जुलाई, 2015 ई0

संख्या 702/3–पं0/ग्रा0पं0पुनर्ग0/24/2015–16–शहरी विकास अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 573/IV (3)/2015-02(घो0)/2014 दिनांक 13 अप्रैल, 2015 के द्वारा कतिपय राजस्व ग्रामों के नगर पंचायत भिकियासैंण में विलीन होने के कारण उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड में अनुकूलित एवं उपान्तरित) की धारा–3 एवं 11–च के परिवर्तित उपबन्धों एवं तत्सम्बन्धी अधिसूचना संख्या 2334/तेंतीस–1–94–149/94 दिनांक 09 मई, 1994 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, हरबंस सिंह चुघ, निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, विकास खण्ड भिकियासैंण एवं ताड़ी खेत, जनपद अल्मोड़ा की ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन से सम्बन्धित पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति को संशोधित करते हुए एतद्द्वारा निम्न सारणी के स्तम्भ 2, 3 एवं 4 में उल्लिखित राजस्व ग्राम, ग्राम सभा एवं पंचायत क्षेत्र को तद्नुसार स्तम्भ 6, 7 एवं 8 में विनिर्दिष्ट नाम से राजस्व ग्राम, ग्राम सभा एवं पंचायत क्षेत्र घोषित किए जाने की स्वीकृति प्रदान करता हूँ। यह संशोधन जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के प्रस्ताव/संस्तुति के आधार पर जारी किया जा रहा है।

क्षेत्र पंचायत का नाम—भिकियासैंण				जनपद का नाम—अल्मोड़ा			
वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
गजट क्रमांक	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम सभा का नाम	पंचायत क्षेत्र	गजट क्रमांक	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम सभा का नाम	पंचायत क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
68	1 भिकियासैंण	भिकियासैंण	भिकियासैंण	सम्पूर्ण ग्राम पंचायत भिकियासैंण नगर पंचायत भिकियासैंण में शामिल			
93	1 सैंणसेरा	सैंणसेरा	सैंणसेरा	सम्पूर्ण ग्राम पंचायत सैंणसेरा नगर पंचायत भिकियासैंण में शामिल			
	2 धूरा						
	3 कढोली						
61	1 बाडीकोट	बाडीकोट	बाडीकोट	राजस्व ग्राम बाडीकोट नगर पंचायत भिकियासैंण में शामिल			
	2 बेल्टी			61	1 बेल्टी	बेल्टी (पुनर्गठित)	बेल्टी
	3 सौनली				2 सौनली		

क्षेत्र पंचायत का नाम—ताड़ीखेत				जनपद का नाम—अल्मोड़ा			
वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
गजट क्रमांक	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम सभा का नाम	पंचायत क्षेत्र	गजट क्रमांक	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम सभा का नाम	पंचायत क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
11	1 कड़ाकोट	कड़ाकोट	कड़ाकोट	11	1 कड़ाकोट	कड़ाकोट	कड़ाकोट
	2 गुनसर				2 गुनसर		
	3 पनपोला			राजस्व ग्राम पनपोला नगर पंचायत भिकियासैंण में शामिल			

हरबंस सिंह चुघ,
निदेशक।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग

कार्यालय आदेश

27 जुलाई, 2015 ई0

पत्रांक 1172/ग्रा0अ0से0/स्था0—दो—58/2015—16—चयन समिति की संस्तुति के आधार पर मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून कार्यालय में कार्यरत श्रीमती इन्द्रेश डंगवाल, प्रशासनिक अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित चयनोपरान्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पद वेतन बैण्ड—2, ₹ 9300—34800, ग्रेड वेतन ₹ 4800 में पदोन्नत किया जाता है।

उक्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

बी0एस0 कैड़ा,
मुख्य अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन) काशीपुर, ऊधमसिंह नगर

कार्यालय आदेश

15 जून, 2015 ई0

पत्रांक 775/टी0आर0/कर–पंजीयन/UP04 A 0357–वाहन संख्या UP04 A 0357 मॉडल 1994, चेसिस नं0 380010AVQ702675 इंजन नं0 697D22AVQ706921 इस कार्यालय में श्रीमती उमा रानी अग्रवाल पत्नी श्री कमलेश कुमार अग्रवाल, मौ0 सिंघान, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर के नाम से दर्ज है। वाहन स्वामी द्वारा वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण वाहन का पंजीयन चिन्ह निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा निरस्त कर दिया गया है। तकनीकी आख्यानुसार वाहन संचालन योग्य नहीं है। वाहन स्वामी द्वारा चेसिस छाप का टुकड़ा जमा कर दिया गया है।

अतः, मैं, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, काशीपुर ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या UP04 A 0357 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 380010AVQ702675 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

15 जून, 2015 ई0

पत्रांक 777/टी0आर0/कर–पंजीयन/UP21 N 5363–वाहन संख्या UP21 N 5363 मॉडल 1996, चेसिस नं0 359350DTQ110598 इंजन नं0 697D28DTQ118894 इस कार्यालय में श्रीमती उमा रानी अग्रवाल पत्नी श्री कमलेश कुमार अग्रवाल, मौ0 सिंघान, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर के नाम से दर्ज है। वाहन स्वामी द्वारा वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण वाहन का पंजीयन चिन्ह निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा निरस्त कर दिया गया है। तकनीकी आख्यानुसार वाहन संचालन योग्य नहीं है। वाहन स्वामी द्वारा चेसिस छाप का टुकड़ा जमा कर दिया गया है।

अतः, मैं, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, काशीपुर ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या UP21 N 5363 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 359350DTQ110598 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

15 जून, 2015 ई0

पत्रांक 778/टी0आर0/कर–पंजीयन/UP04 A 0042–वाहन संख्या UP04 A 0042 मॉडल 1996, चेसिस नं0 360324CTQ005069 इंजन नं0 697D23CTQ115388 इस कार्यालय में श्रीमान फिरोज खान पुत्र श्री शमरोज, मौ0 अल्लीखाँ, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर के नाम से दर्ज है। वाहन स्वामी द्वारा वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण वाहन का पंजीयन चिन्ह निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा निरस्त कर दिया गया है। तकनीकी आख्यानुसार वाहन संचालन योग्य नहीं है। वाहन स्वामी द्वारा चेसिस छाप का टुकड़ा जमा कर दिया गया है।

अतः, मैं, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, काशीपुर ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या UP04 A 0042 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 360324CTQ005069 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
(प्रशासन) काशीपुर,
ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, गढ़वाल सम्भाग पौड़ी

कार्यालयादेश

22 जून, 2015 ई0

पत्रांक 563/कर–पंजी/पंजीयन निरस्त/15–16–वाहन सं0 UK12A-8476 (मोटर साइकिल) के वाहन स्वामी मैसर्स दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय, ऋषिकेश ने दिनांक 11–05–2015 को इस आशय का प्रार्थना–पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया है कि उनकी वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण संचालन योग्य नहीं रह गयी है। अतः वाहन का पंजीयन निरस्त कर दिया जाये। वाहन स्वामी के अनुरोध पर वाहन का चेसिस छाप वाला हिस्सा नष्ट कर कार्यालय में जमा करा लिया गया है। वाहन सं0 UK12A-8476 (मोटर साइकिल) का चेसिस सं0 MD2A37CZ7CPF50304 तथा मॉडल 2012 है।

अतः, मैं, सुधांशु गर्ग, सम्भागीय परिवहन अधिकारी मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–55 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन सं0 UK12A-8476 (मोटर साइकिल) का चेसिस संख्या MD2A37CZ7CPF50304 का पंजीयन/चेसिस तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

22 जून, 2015 ई0

पत्रांक 564/कर–पंजी/पंजीयन निरस्त/15–16–वाहन सं0 UK12A-5079 (स्कूटर) के वाहन स्वामी मैसर्स दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय श्रीनगर गढ़वाल ने दिनांक 07–04–2015 को इस आशय का प्रार्थना–पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया है कि उनकी वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण संचालन योग्य नहीं रह गयी है। अतः वाहन का पंजीयन निरस्त कर दिया जाये। वाहन स्वामी के अनुरोध पर वाहन का चेसिस छाप वाला हिस्सा नष्ट कर कार्यालय में जमा करा लिया गया है। वाहन सं0 UK12A-5079 (स्कूटर) का चेसिस सं0 ME4JF213CA8047735 तथा मॉडल 2010 है।

अतः, मैं, सुधांशु गर्ग, सम्भागीय परिवहन अधिकारी मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–55 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन सं0 UK12A-5079 (स्कूटर) का चेसिस संख्या ME4JF213CA8047735 का पंजीयन/चेसिस तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

सुधांशु गर्ग,
सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
गढ़वाल सम्भाग, पौड़ी।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन काशीपुर

कार्यालय आदेश

26 जून, 2015 ई0

पत्रांक 811/टी0आर0/कर–पंजीयन/HR38M-5926–वाहन संख्या HR38M-5926 मॉडल 2006, चेसिस नं0 53E55207 इंजन नं0 R5E98665 इस कार्यालय में श्री सुखदेव सिंह पुत्र श्री बलबीर सिंह, निवासी–ग्राम मं0नं0 19, बूढ़ा फार्म, बड़ियोंवाला, जसपुर, ऊधमसिंह नगर ने दिनांक 26–06–2015 को इस आशय का प्रार्थना–पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा उपरोक्त वाहन आपके कार्यालय में पंजीकृत है जो कि संचालन योग्य नहीं है। सम्भागीय निरीक्षक प्राविधिक की आख्यानुसार वाहन का तकनीकि निरीक्षणोपरान्त वाहन मार्ग पर संचालन योग्य नहीं है, वाहन का चेसिस कार्यालय में जमा करा दिया गया है।

अतः, मैं, अनिता चन्द सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन काशीपुर मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–55 निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या HR38M-5926 (भार–वाहन) का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

अनिता चन्द,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
प्रशासन काशीपुर।

UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

July 21, 2015

No. F-9(21)/RG/UERC/2013/689 : In exercise of powers conferred under Section 61(h), 86(1)(e) read with Section 181 (zp) of the Electricity Act, 2003, and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission hereby amends the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Tariff and Other Terms for Supply of Electricity from Renewable Energy Sources and non-fossil fuel based Co-generating Stations) Regulations, 2013, (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"), namely:

1. **Short Title, Commencement and Interpretation**

   (1) These Regulations may be called the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Tariff and Other Terms for Supply of Electricity from Renewable Energy Sources and non-fossil fuel based Co-generating Stations) (Third Amendment) Regulations, 2015.

   (2) These shall come into force on the date of publication in the official Gazette.

2. **Amendment of Regulation 3 of the Principal Regulation:**

   (a) Following definition shall be inserted after sub-regulation 3(1)(c) of Regulation 3 as under:

   "(c1) Billing cycle or Billing period" means a period of one month for which electricity bills shall be prepared for each Eligible Consumers by the licensee;"

   (b) Following definition shall be inserted after sub-regulation 3(1)(m) of Regulation 3 as under:

   "(m1) "Eligible Consumer" means a consumer of electricity in the area of supply of the distribution licensee, who has a rooftop or small solar system in its premises, to offset part or all of its electrical requirements;"

(c) Following definition shall be inserted after sub-regulation 3(1)(cc) of Regulation 3 as under:

"(cc1) "Premises" means the land, building or infrastructure or part or combination thereof including the rooftops or/and elevated areas owned by the Eligible Consumer;"

(d) Following definition shall be inserted after sub-regulation 3(1)(mm) of Regulation 3 as under:

"(mm1) "Third party owner" means a developer who generates solar energy from its plant established in the Premises of Eligible Consumer, and who has entered into a lease/commercial agreement with such Eligible Consumer;"

3. **Amendment of Regulation 7 of the Principal Regulation:** Following proviso shall be inserted after sub-regulation (2) of Regulation 7 as under:

"Provided that where a grid interactive roof top and small Solar PV plant, is installed in the Premises, by a third party who intends to sell net energy (i.e. after adjustment of entire consumption of owner of the premise)to the distribution licensee, a tripartite agreement will have to be entered into amongst the third Party, the Eligible Consumer and such Distribution Licensee."

4. **Amendment of Regulation 35 of the Principal Regulation:** sub-regulations (2), (3), (4) & (5) of Regulation 35 shall be amended as under:

"(2) Roof-top Solar PV sources can be installed for injecting into the distribution system of a licensee by any Eligible consumer.

Provided, the maximum installed capacity of rooftop PV solar power plant & small solar PV plant at the premises of eligible consumer shall not be more than 500 kW.

(3) Injection from roof-top solar PV sources owned by the Eligible consumer(s) or by third party shall be settled on net energy basis at the end of each Billing period.

Provided, such net energy shall not be more than 95% of the actual energy generated in the said Billing Period.

Provided, where the net energy injected exceeds 95% of the actual energy generated in a Billing Period, such excess net energy (net energy - 95% of actual energy generated) shall be paid at the lowest base slab of energy charges prescribed in the Rate Schedule for the said Eligible Consumer.

(4) The tariff, as per tariff orders of the Commission, in respect of the supply of electricity to the consumers by the distribution licensee shall be applicable for the net energy supplied

by the licensee in a billing period if the supplied energy by the licensee is more than the energy injected by the roof-top solar PV sources of the consumer(s) or by third party.

Provided that such eligible consumer shall, however, be exempted from payment of monthly minimum charges or monthly minimum consumption guarantee charges or any other charges.

Provided further that no open access charges including surcharges shall be leviable on such eligible consumers for the captive use of power.

(5) *If in a billing period the supplied energy by the licensee is less than the energy injected by the roof-top solar PV sources of the consumer(s) or the third party, subject to provisions in sub-Regulation (3) above, the licensee would be billed at the generic tariff as may be specified by the Commission for such net energy supplied to it."*

5. **Amendment of Regulation 42 of the Principal Regulation:** Regulation 42 shall be read as:

"42. Connectivity and Metering arrangement for grid interactive roof top and small solar PV plants

(1) *Roof-top Solar PV sources shall be allowed connectivity at the following voltage level in the distribution system of the licensee:*

(i) Load upto 4 kW: low voltage single phase supply

(ii) Load >4 kW and upto 75 kW: low voltage three phase supply

(iii) Load >75 kW and upto 500 kW: at 11 kV

(2) *If any dispute arises about connectivity of such sources with the grid, the matter shall be referred to the Commission whose decision in this regard shall be final.*

(3) *Supply of electricity to the consumer(s) from the licensee's sources and that to the licensee's distribution system from the roof-top Solar PV sources shall be measured either by two separate meters, the readings of which shall be used in each billing period for settlement on net basis or alternatively by an export-import type meter suitable for directly measuring the net exchange.*

(4) *The cost of switch gear, metering and protection arrangement at generator end shall have to be borne by the owner of solar generators. However, Check Meter with same specification of Main Meter shall be provided by distribution licensee.*

Provided, Check Meter and related equipments can be procured by such plant owner. However, the cost of Check Meter shall be refunded by the licensee to such plant owner.

(5) *In the interconnection of roof top PV solar energy generator with the local distribution licensee's grid, the relevant provisions of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 as amended from time to time shall apply.*

(6) *The roof top PV solar energy generator shall be responsible for safe operation, maintenance and rectification of defect of its system up to the interconnection point beyond which the responsibility of safe operation, maintenance and rectification of any defect in the system including the net meter shall rest with the distribution licensee.*

(7) *The eligible consumer shall be solely responsible for any incidents/accident to human being/ animals whatsoever (fatal/nonfatal/departmental/non-departmental/damages to material of the licensee) that may occur due to back feeding from the solar plant when the grid supply is off and such consumer shall not only bear the cost of the damages to the material of the licensee but also compensate for the life of any human being/ animals in case of such incidents/accidents. The distribution licensee reserves the right to disconnect the consumer's installation at any time in the event of such exigencies to prevent accident or damage to man and material."*

By the Order of the Commission,
NEERAJ SATI,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 34 हिन्दी गजट/424—भाग 1—क—2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

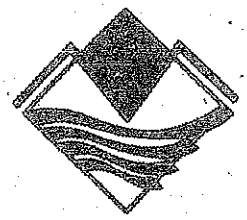

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 22 अगस्त, 2015 ई0 (श्रावण 31, 1937 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर पंचायत द्वाराहाट, जनपद अल्मोड़ा

लाईसेन्स नियमावली

19 जून, 2015 ई0

पत्रांक 59/उप0नि0प्रका0/2014–15–नगर पंचायत द्वाराहाट, जनपद अल्मोड़ा ने नगर पालिका/नगर पंचायत एक्ट संशोधित 1994 की धारा–298 की सूची जे0ए0बी0सी0 के अधीन अपनी सीमान्तर्गत वाणिज्य व्यवसाय व्यवस्था हेतु लाईसेन्स के उपनियम जो कि शासनादेश सं0 2399/नौ–9–94–204 जरनल/94 दिनांक 27–10–1994 नगर विकास अनुभाग–9 के द्वारा निर्देशित जिन्हें शा0 2806/नौ–8–1994–204 (जरनल)/90 दिनांक 31–12–1994 तथा शासनादेश सं0 1847/नौ–9–97–23ज–97 दिनांक 09 जून, 1997 द्वारा अन्तिम माना गया है, नगर पंचायत द्वाराहाट द्वारा दिनांक 29–11–2014 को मासिक अधिवेशन में प्रस्ताव सं0–2 द्वारा लाईसेन्स उपनियमावली तैयार की गई है जिसके तहत निम्नलिखित उपनियम बनाये गये हैं। यह उपनियम शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से नगर पंचायत द्वाराहाट की सीमा में लागू एवं प्रभावी होंगे।

परिभाषा–

1. यह उपनियम नगर पंचायत द्वाराहाट अल्मोड़ा के विविध व्यवसाय लाईसेन्स उपनियिम कहलायें जायेगें जो नगर पंचायत द्वाराहाट की सीमान्तर्गत प्रभावी एवं लागू होंगें।

(क) नगर पंचायत द्वाराहाट का तात्पर्य नगर पंचायत द्वाराहाट से है।

(ख) अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी नगर पंचायत द्वाराहाट से है।

(ग) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत द्वाराहाट से है।

2. कोई भी व्यक्ति /संस्था/व्यवसायी संस्था नगर पंचायत सीमान्तर्गत अनुसूची में दिये गये व्यवसाय को नही कर सकेगा जब तक कि उसने सम्बन्धित व्यवसाय का लाईसेन्स प्राप्त नही कर लेगा।
3. इन उपनियमों के अधीन "अधिशासी अधिकारी" नगर पंचायत द्वाराहाट या उनके द्वारा नामित कर्मचारी लाईसेन्स अधिकारी होगें।
4. लाईसेन्स का निर्धारित शुल्क नगर पंचायत द्वाराहाट के कार्यालय में जमा करने पर प्रतिवर्ष अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में बनवाया जा सकेगा।

5. लाईसेन्स स्वीकृति/प्राप्ति हेतु प्रत्येक व्यवसायिक संस्था या व्यक्ति को अनुसूची के अनुरूप व्यवसाय करने वाले को लाईसेन्स प्राप्त करने के लिये अनिवार्य होगा कि वह प्रत्येक वर्ष मार्च के 31 वें दिन तक अपना आवेदन पत्र निकाय कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
6. यह कि लाईसेन्स जो नियम के अनुरूप निर्गत किया जायेगा कि अवधि प्रत्येक वित्तीय वर्ष तक अर्थात 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य तक प्रभावित रहेगी।
7. यह कि यदि कोई व्यक्ति जो किसी छूत की बिमारी या संक्रामक रोग से पिड़ीत हो तो सूची में वर्णित व्यवसाय को नही करेगा। न ही कोई अन्य ऐसे व्यक्ति को अपने व्यवसाय में लगायेगा और न ही रख सकेगा।
8. यह कि सूची में निर्दिष्ट के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति संस्था या व्यवसाय में संलग्न है या कर रहे है को उसके अनुरूप सफाई धूल के कण हानिकारक कीटाणु आदि से बचाव के लिये स्वंय के स्तर से व्यवसाय करना होगा।
9. यह कि इन उपनियमों में वर्णित व्यवस्था सम्बन्धी कोई भी अनुसूची के व्यवसाय सम्बन्धी पूर्व में यदि कोई भी उपनियम होगें तो वह इन उपनियमों के गजट में प्रकाशन की तिथि से स्वतः रद्द हो जायेगें। और उनके स्थान पर यह उपनियम प्रभावी होगें।
10. यह कि लाईसेन्स धारक व्यक्ति संस्था या संस्थान इन उपनियमों में वर्णित किसी भी अंश के उल्वंन पर लाईसैन्स अधिकारी जैसा कि निर्दिष्ट है को लाईसेन्स निरस्त करने का अधिकार होगा। किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वह व्यक्ति संस्था या संस्थान द्वारा ऐसे आदेश की प्राप्ति के 10 दिन के भीतर अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारीनगर पंचायत द्वाराहाट के समक्ष स्वंय उपस्थित हो अपील कर सकेगा। जो अवधि बाद प्रभावी नही होगी।
11. " अधिशासी अधिकारी द्वारा नामित या इंगित कर्मचारी जो इस कार्य हेतु प्राधिकृत किया जाय जो किसी भी समय इन उपनियमों के अधीन निरीक्षण करने का अधिकार होगा कि वे निरीक्षण प्राप्त कर हानिकारक अथवा मानव अनुपयोगी पदार्थ जो कि मानव जीवन के लिये घातक हों उन पदार्थो को तत्काल नष्ट कर सकेगा।
12. लाईसेन्स हेतु प्रार्थना–पत्र तभी स्वीकार किया जायेगा जबकि उक्त व्यक्ति संस्था तथा व्यवसायी निर्धारित शुल्क की राशि नगर पंचायत द्वाराहाट के कार्यालय में प्राप्त करा दी गई हों।
13. यदि कोई लाईसैंसदार अपने व्यवसाय का लाईसैंस एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक नही बनाता है तो उसके पशचात लाईसैंस की धनराशि पर प्रतिदिन रू0 10/–बिलम्ब शुल्क देना होगा।
14. जो शुल्क इस पालिका में नही है, उनके अतिरिक्त अन्य शुल्क नगर पंचायत द्वाराहाट की सीमा के अन्दर लगने वाले मेले में अस्थाई व्यवसाय हेतु अस्थाई लाईसैंस दिये जायेंगे जिनका मूल्यांकन सूची में दिये गये व्यवसाय की दरों के आधार पर किया जायेगा और जो व्यवसाय सूची में नही है उनके लाईसैंस की दरें नगर पंचायत बोर्ड द्वारा तय/निर्धारित की जायेंगी।
15. नगर पंचायत अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी किसी भी समय किसी भी व्यवसाय/दुकान के लाईसैंस का निरीक्षण कर सकते हैं तथा प्रत्येक दुकान के अन्दर आवश्यक स्थिति मैं प्रवेश करने के लिये अधिकृत होंगे ।
16. नगर पंचायत द्वाराहाट द्वारा अपनी सीमा के अर्न्तगत विभिन्न व्यवसाय करने वाले दुकानदारों के स्वामियों आदि का एक रजिस्टर बनाया जायेगा तथा उसी के आधार पर वार्षिक लाईसैंस निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति अथवा लाईसैंसदार निर्धारित अवधि में लाईसैंस नही बनाता है, लाईसैंस की धनराशि नगर पंचायत कार्यालय द्वाराहाट में जमा नही करता है या चूक करता है तो उससे लाईसैंस की धनराशि वसूली हेतु नगर पालिका

अधिनियम 1916 की धारा 173(क) के अर्न्तगत जिला अधिकारी महोदय को वसूली प्रमाण पत्र प्रेषित कर भू–राजस्व के बकाया के रूप में प्रतिदिन रू0 10/– बिलम्ब शुल्क सहित वसूल करने का अधिकार नगर पंचायत द्वाराहाट को होगा ।

क्र० सं०	मद का नाम	निर्धारित लाईसेन्स शुल्क
1	होटल व रेस्टोरेन्ट *	1000.00
2	बारातघर मैरिज हाल गेस्ट हाउस, मुसाफिरखाना	1000.00
3	10 शैया तक	——
4	11 शैया से 20 तक	1000.00
5	21 शैया से 30 तक	1200.00
6	31 शैया से 40 तक	1400.00
7	41 शैया से 50 तक	1600.00
8	3 सितारा होटल सुविधा युक्त	5000.00
9	रेस्टोरेन्ट	500.00
10	मिठाई की दुकान	300.00
11	मिठाई चाय–चाट इत्यादि	300.00
12	सिर्फ चाय	150.00
13	चाय के साथ चाट बिस्कुट आदि	100.00
14	बारबर की दुकान 1 से 3 सीट तक	400.00
15	बारबर की दुकान 4 सीट से उपर	500.00
16	आटा दाल चावल आदि के थोक व्रिकेता	500.00
17	फुटकर विकेता	300.00
18	सब्जी के थोक विकेता	300.00
19	सब्जी विकता फुटकर	200.00
20	एक्सरे क्लीनिक	200.00
21	पैथोलाजी	300.00
22	प्राईवेट क्लीनिक	500.00
23	नर्सिंग होम	500.00
24	थोक दवा विकेता	500.00
25	फुटकर दवा विकेता	200.00
26	कबाड़ी (थोक)	300.00
27	कबाड़ी (फुटकर)	200.00
28	आईसक्रीम फैक्ट्री	200.00
29	आईसक्रीम फुटकर विकेता	100.00
30	जनरल स्टोर थोक	500.00
31	जनरल स्टोर फुटकर	200.00
32	शराब विदेशी	25000.00
33	शराब देशी	15000.00
34	बार	5000.00

1	2	3
35	मानचित्रकर (आई0टी0आई0 सिविल डिप्लोमा)	2500.00
36	भुकम्प अवरोधी इन्जीनियर	2500.00
37	बकरा मीट लाईसेन्स शुल्क	800.00
38	सुअर/भैंसा मीट लाईसेन्स शुल्क	1000.00
39	मुर्गा/मछली मीट लाईसेन्स शुल्क	800.00
40	बैण्ड मास्टर	200.00
41	पशु वधशाला	500.00
42	1 बकरा प्रति	50.00
43	2. भैंसा प्रति	100.00
44	3. सुअर प्रति	100.00
45	नगर क्षेत्र के अन्दर काम करने वाले राज मिस्त्री ठेकेदार	200.00
46	नगर क्षेत्र के अन्दर काम करने वाले कारपेन्टर	200.00
47	आरा मशीन	500.00
48	ग्रिल वर्कशाप	500.00
49	आटो मोबाईल/वर्कशाप	500.00
50	पेंट/हार्डवेयर	500.00
51	मोबाईल/दूर संचार टावर	2000.00
52	दुग्ध व्यवसायी	150.00
53	सीमेन्ट सरिया तथा रेता व्यवसायी	300.00
54	टैन्ट हाउस	300.00
55	मंनोरजन गृह	500.00
56	केबिल	500.00
57	इलैक्ट्रिकल्स/टी0बी0 विक्रेता	300.00
58	पान व्यवसाय	150.00
59	पेट्रोल पम्प	2000.00
60	नगर क्षेत्र के अन्तर्गत फेरी लगाकार व्यवसाय करने वाले	100.00
61	कपड़े एवं फुटकर सामानों की सेल लगाने वालो पर	100.00
62	फर्निचर आदि पर	200.00
63	ब्रेकरी	200.00
64	ब्यूटी पार्लर	200.00
65	कपड़ा विक्रेता	200.00
66	नेपाली/मजदूर को जारी टोकन	100.00
67	सड़क के किनारे समान/अन्य निर्माण समाग्री रखने वाले को	50.00 प्रति दिन

अशोक कुमार वर्मा,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, द्वाराहाट।

विमला साह,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, द्वाराहाट।

सूचना

मेरे हाईस्कूल के शैक्षिक प्रमाण–पत्र में भूलवश मेरा नाम Vinod Gosain, माता का नाम Asha Gosain व पिता का नाम Harpal Singh Gosain दर्ज है। जबकि वास्तविक नाम क्रमशः Vinod Singh Gusain, Asha Gusain व Harpal Singh Gusain हैं। भविष्य में हमें इसी नाम से जाना जाये।

समस्त औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

विनोद सिंह गुसांई,
पुत्र श्री हरपाल सिंह गुसांई,
पता-राजाजी नेशनल पार्क,
मोतीचूर हरिपुर कलां,
ऋषिकेश, देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 34 हिन्दी गजट/424–भाग 8–2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।